सत्यमेव जयते

वर्ष 2020–21 के लिए राजस्थान सरकार के वित्त लेखे एवम् विनियोग लेखे के महत्वपूर्ण विशेषताओं पर

प्रेस ब्रिफ

लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth in Public Interest

वित्त लेखे एवम् विनियोग लेखे के लिए क्यू.आर. कोड को स्कैन करें

राजस्थान सरकार

तत्काल जारी

लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth in Public Interest

वर्ष 2020–21 के लिए राजस्थान सरकार के वित्त लेखे तथा विनियोग लेखे के महत्वपूर्ण विशेषताओं पर

प्रेस ब्रिफ

राजस्थान सरकार के वित्त लेखे तथा विनियोग लेखे 2020–21 नियंत्रक महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियों तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम 1971 की आवश्यकताओं के अनुसार भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक के पर्यवेक्षण के अन्तर्गत तैयार किये गये है। ये लेखे राज्य विधानसभा मे रखे जाने हेतु दिनांक 24.11.2021 को राजस्थान सरकार को भेजे गये थे और उन्हे विधानसभा मे प्रस्तुत किया जा चुका है।

वित्त लेखे दो खण्डो मे प्रस्तुत किये जाते है। खण्ड–। मे 13 विवरण जो प्राप्ति एवम् वितरण, राजस्व व्यय, पूंजीगत व्यय, ऋण तथा अग्रिम्, लोक ऋण, निवेशों, राज्य सरकार द्वारा दी गयी गारंटियों, सहायतार्थ अनुदान का सारांशीकृत विवरण देते है एवम् महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ, संचित निधि, आकस्मिकता निधि, लोक लेखे पर पैरा, भारतीय सरकारी लेखा मानकों (आई.जी.ए.स.) के अनुसार प्रस्तुतीकरण, राजस्थान राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन (एफ.आर.बी.एम.) अधिनियम, 2005 के अंतर्गत प्रस्तुतीकरण एवं राजस्व एवं राजकोषीय घाटे पर प्रभाव "लेखाओं से टिप्पणियाँ" मे सम्मिलित है।

खण्ड–।। में दो भाग है भाग–। में 9 विस्तृत विवरण तथा भाग–।। में 12 परिशिष्ट है, जो खण्ड–। के विवरणों को पूरित करते है।

विनियोग लेखे, वित्त लेखों के पूरक है। ये समेकित निधि पर "प्रभारित" तथा राज्य विधानसभा द्वारा पारित "दत्तमत" राशियों के विरूद्ध राज्य सरकार के व्ययों को दर्शाते है। राजस्थान में 4 प्रभारित विनियोजन तथा 51 दत्तमत अनुदान है।

वित्त लेखे एवम् विनियोग लेखे की महत्वपूर्ण विशेषताऐं

निम्नलिखित महत्वपूर्ण विशेषताऐं देखी गयी तथा वित्त लेखे खण्ड–। के लेखाओं से टिप्पणियाँ (एन.टी.ए.), विनियोग लेखे एवम् लेखे एक नजर में 2020–21 में सम्मिलित की गयी:

अ. वित्तीय मापदण्डों/सकेंतकों से सम्बन्धित बिंदु

- **राजस्व प्राप्तियां**

वर्ष 2020–21 के दौरान बजट अनुमानों (₹ 1,73,405 करोड़) के विरूद्व राजस्व प्राप्तियों में 22.55 *प्रतिशत* (₹ 39,097 करोड़) कमी हुई एवं राजस्व व्यय अनुमानों (₹ 1,85,750 करोड़) के विरूद्व 4.01 *प्रतिशत* (₹ 7,441 करोड़) कम हुआ। राजस्व प्राप्तियों में कमी मुख्यतः केन्द्र सरकार से केन्द्रीय करों/ शुल्कों के राज्य के हिस्सा राशि को सम्मिलित करते हुए कर राजस्व की कम प्राप्ति के कारण रही। परिणामस्वरूप, केन्द्रीय लेखे पर दोनों राज्य निधि (एस.एफ.) व्यय तथा केन्द्रीय सहायता (सी.ए.) व्यय में कमी आयी।

(लेखे एक नजर में 2020–21 का बिन्दु 1.5)

- **राजस्व घाटा**

2020–21 के दौरान ₹ 44,001 करोड़ का राजस्व घाटा पिछले वर्ष के दौरान हुये 3.56 *प्रतिशत* की तुलना में सकल राज्य घरेलु उत्पाद का 4.59 *प्रतिशत* था। यह राजस्व तटस्थ/राजस्व आधिक्य के एफ.आर.बी.एम. के लक्ष्य के अनुरूप नही था।

(एन.टी.ए. का बिन्दु 6)

- **राजकोषीय घाटा**

2020–21 के दौरान ₹ 59,375 करोड़ का राजकोषीय घाटा जो गत वर्ष के 3.69 *प्रतिशत* की तुलना में सकल राज्य घरेलु उत्पाद का 6.20 *प्रतिशत* था। राजकोषीय घाटे में 2.51 *प्रतिशत* बढोतरी हुई और यह एफ.आर.बी.एम. के लक्ष्य 3.00 *प्रतिशत* से अधिक है।

(एन.टी.ए. का बिन्दु 6)

- **राजस्व घाटा एवं राजकाषीय घाटे का कम विवरण**

वर्ष 2020–21 के दौरान केन्द्रीय सडक निधि में (₹ 142 करोड़) की राशि का हस्तांतरण नहीं होने, विशिष्ट उद्देश्यों के लिए संग्रहित किये गये उपकर अधिभार को संबंधित आरक्षित निधियों में (₹ 93 करोड़) एवं निर्धारित अंशदायी पेंशन योजना के अंतर्गत कर्मचारी एवं राजकीय अंशदान (₹ 40 करोड़) का एन.एस.डी.एल. को कम हस्तांतरण करने के कारण राजस्व घाटा और राजकोषीय घाटा दोनों को वर्ष 2020–21 के दौरान कुल राशि ₹ 275 करोड़ से कम दर्शाया गया।

(एन.टी.ए. का बिन्दु 7)

- **लोक ऋण**

राज्य सरकार के लोक ऋण एवम् अन्य दायित्व वर्ष 2019–20 के अंत में सकल राज्य घरेलु उत्पाद के 34.55 *प्रतिशत* से बढ कर 2020–21 के अंत में 42.85 *प्रतिशत* हुआ जो गत वर्ष की तुलना में इस वर्ष के दौरान अधिक उधार लेने एवं कोविड महामारी के कारण कम राजस्व प्राप्ति के कारण था। लोक ऋण का सकल राज्य घरेलु उत्पाद से अनुपात एफ.आर.बी.एम के लक्ष्य 38.20 *प्रतिशत* से अधिक था।

(एन.टी.ए. का बिन्दु 6)

- **निवेश तथा प्रतिफल**

वर्ष 2020–21 के अन्त मे सरकारी कम्पनियों, सांविधिक निगमों, सहकारी बैंकों तथा समितियों आदि मे अंशपूंजी के रूप मे कुल निवेश ₹ 52,784 करोड़ था। 2020–21 के दौरान, ₹ 575 करोड़ (निवल) से निवेश बढा। मुख्य निवेश विद्युत कम्पनियों (₹ 403 करोड़) में किया गया। मुख्य विद्युत क्षेत्र के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की संचित हानि ₹ 92,422 करोड़ थी । वर्ष के दौरान निवेश पर ₹ 3 करोड़ (0.01 *प्रतिशत*) का लाभांश प्राप्त हुआ जबकि सरकार की उधार लागत 6.60 *प्रतिशत* थी।

(एन.टी.ए. का बिन्दु 2(x) तथा लेखे एक नजर में का बिन्दु 6.1.1)

- **कार्यकारी अभिकरणों को निधियों का सीधा हस्तारण – ₹ 13,628 करोड़**

भारत सरकार के निर्णय कि राज्य सरकार को सी.एस.एस./ ए.सी.ए.के. अन्तर्गत सभी सहायता जारी करने तथा कार्यकारी अभिकरणों को नही जारी करने के उपरान्त भी केन्द्र सरकार द्वारा वर्ष 2020–21 के दौरान राजस्थान में कार्यकारी अभिकरणों को ₹ 13,628 करोड़ सीधे ही जारी किये गये जो वर्ष 2019–20 में ₹ 9,484 करोड़ से 43.69 *प्रतिशत* अधिक था। इन सीधे हस्तांतरण की बहुलता महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रमीण रोजगार गारन्टी योजना (₹ 8,304 करोड़) तथा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (₹ 4,403 करोड़) के अंतर्गत थी। परिणाम स्वरूप, ऐसे हस्तान्तरण तथा कार्यकारी अभिकरणों द्वारा तत्पश्चात् किये गये व्यय राज्य सरकार के वार्षिक लेखों मे प्रदर्शित नही हुए है।

(एन.टी.ए. का बिन्दु 2(xx) तथा लेखे एक नजर में का पैरा 1.3.1)

- **₹ 31 करोड़ की राशि के असमायोजित सारांशीकृत आकस्मिक (ए.सी.) बिल**

राज्य प्राधिकृतियों को सारांशीकृत आकस्मिक बिलों को तैयार कर आकस्मिक उद्देश्यों हेतु राशियों को आहरित करने हेतु प्राधिकृत किया गया है। विस्तृत आकस्मिक बिलों के माध्यम से इनका निस्तारण अधिकतम तीन माह की अवधि में किया जाना आवश्यक होता है।

2020–21 से संबंधित राशि ₹ 15 करोड़ के 93 विस्तृत आकस्मिक बिलों को शामिल करते हुए कुल 117 विस्तृत आकस्मिक बिल राशि ₹ 31 करोड़ समायोजन हेतु बकाया थे (दिनांक 30.06.2021 तक), बकाया विस्तृत बिलों की राशि ₹ 55 करोड़ (2019–20) से घटकर ₹ 31 करोड़ (2020–21) रही।

(एन.टी.ए. का बिन्दु 2(vi))

- **सहायतार्थ अनुदान के लिए उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं हुए**

विशिष्ट प्रयोजनों के लिए उपलब्ध कराये गये अनुदान के संबंध में विभागीय अधिकारियों द्वारा अनुदान प्राप्तकर्ता से उपयोगिता प्रमाण पत्र उनकी स्वीकृति की तिथि से 12 माह के भीतर जब तक अन्यथा निर्धारित न हो, प्राप्त कर, सत्यापन के पश्चात् महालेखाकार (लेखा एवं हक.) को अग्रेषित किये जाने चाहिये। आगे अप्राप्त उपयोगिता प्रमाण–पत्र की सीमा तक लेखों में दिखाये गये व्यय को अंतिम नही माना जा सकता और सुनिश्चित नहीं किया जा सकता कि राशि स्वीकृत उद्देश्य के लिए खर्च की गयी थी। बकाया उपयोगिता प्रमाण–पत्र राशि वर्ष 2019–20 के दौरान ₹ 941 करोड़ से बढ़कर 2020–21 के दौरान ₹ 2,113 करोड़ हुई।

(एन.टी.ए. का बिन्दु 2(vii))

ब. लेखांकन प्रक्रिया से संबंधित बिन्दु

- **महत्वपूर्ण बचतें**

2020–21 के दौरान ₹ 2,673 करोड़ की कुल अनुपूरक अनुदान (कुल अनुपूरक अनुदान ₹ 36,254 करोड़ का 7.37 *प्रतिशत*) कुछ प्रकरणों में अनावश्यक सिद्ध हुई, जहाँ वर्ष की समाप्ति पर मूल आंवटन के विरूद्ध ही महत्वपूर्ण बचतें रहीं।

(लेखे एक नजर में के बिन्दु 5.3)

- **निजी निक्षेप खाते में हस्तांतरण**

दिनांक 31 मार्च, 2021 को कुल 1,928 निजी निक्षेप (पी.डी.) खाते थे। वर्ष 2020–21 के दौरान, राशि ₹ 37,714 करोड़ पी.डी. खातों को हस्तान्तरित/जमा की गयी, जिसमें से ₹ 26,692 करोड़ (70.77 *प्रतिशत*) राज्य की संचित निधि से हस्तांतरित किये गये। राशि ₹ 26,692 करोड़ में से ₹ 5,913 करोड़ (22.15 *प्रतिशत*) मार्च 2021 में हस्तान्तरित किये गये। वित्तीय वर्ष 2020–21 के अंत में पी.डी. खातों में राशि ₹ 14,383 करोड़ बिना खर्च हुए अवशेष थे।

(एन.टी.ए. का बिन्दु 2(v))

- **राष्ट्रीय पेंशन योजना**

1 जनवरी, 2004 को या इसके बाद नियुक्त राज्य सरकार के कर्मचारी राष्ट्रीय पेंशन योजना (एन.पी.एस.) जो निर्धारित अंशदान पेंशन योजना है, के अंतर्गत आते है। योजना की शर्तों के अनुसार, कर्मचारी अपने मूल वेतन एवं महंगाई भत्ते का 10 *प्रतिशत* योगदान देता है तथा राज्य सरकार द्वारा उतना ही योगदान दिया जाता है तथा पूरी राशि नेशनल सिक्योरिटीज डीपोजिटरी लिमिटेड (एन.एस.डी.एल.)/ ट्रस्टी बैंक के माध्यम से निर्दिष्ट निधि प्रबंधक को हस्तांतरित की जाती है। यद्यपि, अखिल भारतीय सेवा अधिकारियों के मामलें में सरकार अपने हिस्से के रूप में 14 *प्रतिशत* योगदान करती है।

सरकार द्वारा वर्ष 2020–21 के दौरान ₹ 40 करोड़ बकाया शेष छोड़ते हुए ₹ 4,357 करोड़ एन.एस.ड़ी.एल. को हस्तांतरित किये गए।

(एन.टी.ए. का बिन्दु 4(i))

- **राज्य योजना हेतु केन्द्रीय सहायता**

मुख्य शीर्ष 1601 – केन्द्र सरकार से सहायतार्थ अनुदान के तहत 47 पुनर्गठित केन्द्र आयोजनागत योजनाओं हेतु विभिन्न केन्द्रीय मंत्रालयों से राजस्थान सरकार की राज्य योजना हेतु केन्द्रीय सहायता के रूप में राज्य सरकार ने वर्ष 2020–21 के दौरान ₹ 12,454 करोड़ (केन्द्रीय मंत्रालयों/ विभागों से पी.एफ.एम.एस. पोर्टल के माध्यम से लाभार्थियों को सीधे हस्तांतरण को छोडकर) प्राप्त किये। केन्द्रीय प्रवर्तित योजनाओं के अंतर्गत कुल व्यय ₹ 13,131 करोड़ (राजस्व व्यय ₹ 10,561 करोड़ एवं पूंजीगत व्यय ₹ 2,570 करोड़) दर्ज किया गया, जिसमें पिछले वर्षों से संबंधित ₹ 677 करोड़ की अवशेष राशि का उपयोग सम्मलित है।

(एन.टी.ए. का बिन्दु 2(xix))

कार्यालय महालेखाकार

(लेखा एवं हकदारी)

राजस्थान, जयपुर

agaerajasthan@cag.gov.in